



न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

मुकदमा संख्या- 503/ 2021

नन्दराम

बनाम

नरेन्द्र सिंह पाल।

दिनांक- 04. 07. 2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी पक्ष अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2021 से लम्बित है। प्रकरण में परिवादी की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर मृत्यु आख्या संलग्न है। परिवादी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा उसके विधिक वारिसों को नोटिस निर्गत किए गए। नोटिस निर्गत किए जाने के उपरान्त भी परिवादी पक्ष की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। पत्रावली वास्ते परिवादी पक्ष की उपस्थिति हेतु नियत चल रही है परंतु परिवादी पक्ष की ओर से न तो कोई उपस्थित है न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी पक्ष को अपने परिवाद में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतएव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत प्रस्तुत परिवाद बल के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद बल अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(सृष्टि शुक्ला)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, जनपद- झाँसी।

जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

Mohd. Anas

Steno